लुधयाना में दूरसंचार सेवाओं द्वारा समुचित रूप से कार्य न करना

2786. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के लुधियाना जिले में दूरसंचार सेवाएं समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लुधियाना जिले में टेलीफोन कई महीनों तक खराब रहते हैं और इस संबंध में दर्ज कराई गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी, नहीं। लुधियाना में दूरसंचार सेवाएं संतोषप्रद हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) अधिकांश दोषयुक्त टेलीफोनों को तत्परता से ठीक किया जाता है। फिर भी, कुछ मामलों में मानदंडों से अधिक समय लगा जिसके कारण इस प्रकार हैं:—

(i) नगर पालिका द्वारा सड़कों को चौड़ा करने के लिए किए जाने वाली खुदाई के कारण टेलीफोन केबलों को नुकसान पहुंचा।

(ii) नए केबल बिछाते समय मौजूदा केबलों को नुकसान।

(iii) एक्सचेंज सीमाओं में परिवर्तन के करने के कारण आउट-डोर प्लांट की पुनः इंजीनियरी, जिसमें नए कनेक्शन देने के लिए व्यापक स्तर पर केबल नेटवर्क की पुनर्व्यवस्था करनी होती है।

(ङ) निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:—

(i) नगर पालिका के साथ संपर्क में सुधार किया गया है।

(ii) केबलों को हानि पहुंचाने के लिए ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(iii) केबल मार्गों की गश्त तेज कर दी गई है।

(iv) जहां कहीं व्यवहार्य है, केबलों की व्यापक स्तर पर पुनर्व्यवस्था के काम को कम करने के लिए केबल क्षमता बढ़ाने हेतु पेयर गेन प्रणाली शुरू की जा रही है।

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

2787. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन भूतपूर्व सैनिकों की जिला-वार संख्या कितनी है जिनके नाम सैनिक कल्याण बोर्ड में दर्ज हैं;

(ख) उनके कल्याण के लिये कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिलासपुर संभाग के भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन सुविधाएं किन-किन स्थानों से उपलब्ध कराई जा रही हैं और उस स्थान से संभाग के जिलों की दूरी कितनी है; और

(घ) बिलासपुर संभाग के भूतपूर्व सैनिकों को जिला मुख्यालयों में कैंटीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होते हैं। ये कार्यक्रम/योजनाएं इस प्रकार हैं:—

(1) केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के निम्नलिखित प्रतिशत की व्यवस्था कर रखी है:—

	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक
समूह "ग" पद	10%	14.5%
समूह "घ" पद	20%	24.5%

(2) इसके अलावा, अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के पदों में 10% आरक्षण की भी

व्यवस्था की गई है। रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही निर्धारित की गई है।

(3) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" पदों में 9% आरक्षण और समूह "घ" पदों में 14% आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है।

(4) सरकारी नौकरियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जाती है।

(5) सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिकों की नियोज्यता में सुधार करने और उन्हें स्वरोजगार पाने योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।

(6) स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सेमफैक्स-1, सेमफैक्स-2 और सेमफैक्स-3 योजनाओं के अंतर्गत ऋण सुविधाएं।

(7) मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की पत्नियों/आश्रितों, युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों आदि को पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों में 7.5% आबंटन आरक्षित है।

(8) थोक मात्रा में द्रवित पेट्रोलियम गैस/कोयले के परिवहन के लिए भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कंपनियां।

(9) निपटान योग्य अधिशेष वाहनों का आबंटन।

(10) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा नियंत्रित निधियों से जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता।

(11) गंभीर रोगों के इलाज के लिए 60% व्यय की प्रतिपूर्ति इस योजना के तहत बाइपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि आते हैं।

(12) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल किराए में रियायत और परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे श्रेणी 1 और 2 के वीरता पुरस्कार विजेताओं और स्थाई रूप से युद्ध में निशक्त हुए अफसरों और उनके परिवारों के आश्रित सदस्यों को इंडियन एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों में हवाई यात्रा करने के लिए किराए में 50% रियायत।

(13) समीपस्थ यूनिट चालित कैंटीनों से कैंटीन सुविधाएं।

(14) विद्यमान सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं।

(15) सैनिक विश्राम गृहों में अल्पावधि तक ठहरने के लिए हकदार होना।

(16) सैन्य कार्रवाई में मारे गए या निशक्त हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक रियायतें।

(17) संक्रियाओं या शांतिकाल के दौरान मारे गए या निशक्त हुए कार्मिकों के परिवार के दो सदस्यों को समूह "ग" तथा "घ" पदों में रोजगार सहायता के लिए प्राथमिकता 2(क) दी जाती है।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपने राज्य में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों को कई रियायतें और सुविधाएं दे रही हैं।

(ग) और (घ) भूतपूर्व सैनिक सैन्य यूनिटों/स्थापनाओं में नजदीक में उपलब्ध सी एस डी कैंटीनों से कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। रायपुर स्थित राष्ट्रीय कैडिट कोर का समूह मुख्यालय बिलासपुर क्षेत्र में कैंटीन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। बिलासपुर में कैंटीन सुविधाएं रायपुर से संचालित चल कैंटीन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। रायपुर से बिलासपुर मंडल के विभिन्न जिलों की रेल मार्ग से दूरी लगभग इस प्रकार है:—

बिलासपुर	115 कि०मी०
रायगढ़	225 कि०मी०
सरगुजा	405 कि०मी०

निम्नलिखित कारणों से इस क्षेत्र में कैंटीन सुविधाएं स्थापित करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है:—

(क) राज्य सरकार से चल कैंटीन के लिए शराब बेचने की अनुमति न होना।

(ख) विद्यमान सैन्य स्टेशनों/यूनिटों से लम्बी दूरी।

(ग) इतनी लम्बी दूरी के लिए केवल किराना मदें भेजना वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

भूतपर्व सैनिकों की जनगणना

30 सितम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में जिला सैनिक बोर्डवार पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का ब्यौरा

जिला	सैनिक बोर्ड	पंजीकृत जन संख्या
1.	बेबूल	290
2.	भिंड	2643
3.	भोपाल	1314
4.	बिलासपुर	851
5.	छतरपुर	169
6.	छिंदवाड़	291
7.	दमोह	174
8.	दतिया	90
9.	देवास	248
10.	धार	244
11.	दुर्ग	508
12.	ग्वालियर	1701
13.	होशंगाबाद	420
14.	इंदौर	2016
15.	जबलपुर	3183
16.	मंदसौर	176
17.	मुरैना	1866
18.	नरसिंहपुर	364
19.	पन्ना	126
20.	रायगढ़	814
21.	रायपुर	571
22.	राजनांदगांव	72
23.	रतलाम	182
24.	रीवा	2012
25.	सागर	494
26.	सतना	1151
27.	सिवनी	107
28.	शहडोल	247
29.	शिवपुरी	364
30.	सीधी	592
31.	टीकमगढ़	143
32.	उज्जैन	505
	रा०सै०बोर्ड योग	23928

Maroon Rubber Flaps for Instilling Lane-Sense

2788. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to certain reports appeared on 19th November, 1996 indicating that maroon rubber flaps fixed for instilling lane-sense into bus drivers of Delhi have been chewed off the bollards holding them;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Delhi Traffic Police are planning to put more such maroon rubber flaps on other Delhi roads in near future;

(d) whether the Delhi Traffic Police also propose to provide new maroon rubber flaps replacing chewed ones; and

(c) if so, details thereof and if not," reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAOBOOL DAR): (a) Yes, Sir.

(b) The maroon rubber flaps attached to bollards were installed on selected roads for segregating fast and slow moving traffic and instilling the lane-sense.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) Installation of these road dividers was done on an experimental basis. The worn rubber flaps can either be replaced or the bollards can continue of work as a divider.

Incentives to new Entrepreneurs for Garment Exports

2789. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the incentives available to new entreporeneurs for export of garments;